न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
उदाराम पुत्र मोतीराम जाट सा. पांचौता तह. नांवा		1. दूला पुत्र लादू जाट सा. पांचौता 2. आनन्दसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत सा. भगवानपुरा 3. गंगादेवी पत्नी जीवणराम जाट सा. बीजापुरा 4. श्रीपाल पुत्र जीवणराम जाट सा. बीजापुरा 5. दूलाराम पुत्र जीवणराम जाट सा. बीजापुरा 6. सांवर पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा 7. सन्तोष पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा 8. छोटीदेवी पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा 9. नानीदेवी पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा 10. शाखा प्रबन्ध नागौर सहकारी बैंक नांवा 11. शाखा प्रबन्ध एस.बी.बी.जे. शाखा नांवा 12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व बंटवारा।

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल वकील वादी
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी 1

मुकदमां नम्बर :– 13/2017 निर्णय दिनांक :– 30.3.2017

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 600, 602, 750, 794 कुल रकबा 7.80 हैक्टयर भूमि तथा ग्राम पांचौता के खसरा नम्बर 756, 757 कुल रकबा 3.04 हैक्टयर भूमि तथा पांचौता के ही खसरा नम्बर 785 रकबा 1.34 हैक्टयर भूमि स्थित हैं वादी व प्रतिवादी 1 एक ही खानदान व एक ही दादा के पौत्र व पुत्र हैं। ग्राम के खसरा नम्बर 600, 602, 750, 794 कुल रकबा 7.80 हैक्टयर सम्पूर्ण तथा ग्राम पांचौता के खसरा नम्बर 785 रकबा 1.34 हैक्टयर सम्पूर्ण व ग्राम पांचौता के ही खसरा नम्बर 756, 757 कुल रकबा 3.04 हैक्टयर भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि वादी के दादा व प्रतिवादी 1 के पिला लादू की कब्जे काश्त खातेदारी सुदा भूमि रही हैं तथा लादू का स्वर्गवास होने पर लादू के स्थान पर वादी के पिता मोतीराम व प्रतिवादी 1 दूलाराम जरिये विरासत के काबिज खातेदार कृषक हुऐ इस प्रकार से लादू की उक्त भूमि में वादी के पिता मोतीराम का 1/2 हिस्स व प्रतिवादी 1 का 1/2 हिस्सा स्थित रही हैं तथा मोतीराम का स्वर्गवास होने पर मोतीराम के 1/2 हिस्से की

ह॰ 30/3/17

भूमि जरिये विरासत वादी उदाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुई हैं तथा उक्त विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि हैं। उक्त वादी व प्रतिवादी 1 की खातेदारी सुदा भूमि का वर्षो पूर्व आपसी समझाईश एवं सुविधा अनुसार व भूमि के उपजाउपन के आधार पर मौके पर भोतिक बंटवार कर लिया था तथा माफिक भौतिक बंटवार अनुसार ग्राम दानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 600 रकबा 3.18 हैक्टयर, भूमि में से पश्चिमी व दक्षिणी कौने में से खसरा नम्बर 602 में लगतीहुई 0.24 हैक्टयर वादी के हिस्से में एवं खसरा नम्बर 600 की शेष भूमि 2.94 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1 की खातेदारी में व खसरा नम्बर 794 रकबा 2.24 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 1 के हिस्से में आई तथा खसरा नम्बर 602 रकबा 0.77 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 750 रकबा 1.61 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि व ग्राम पांचौता में सिति खसरा नम्बर 785 रकबा 1.34 हैक्टरूर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 756, 757 में से खसरा नम्बर 756 रकबा 1.52 हैक्टयर वादी के हिस्से में व खसरा नम्बर 757 रकबा 1.52 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 2 के हिस्से में आई तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी 1 व 2 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा अलग अलग सीवे नीवे डोल कायम कर रखी हैं तथा निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं ग्राम दानपुरा में स्थित खसरा नम्बर 794 रकबा 2.24 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में व कब्जे काश्त में होने से प्रतिवादी ने अपनी भूमि में रास्ते की आवश्यकता होने से प्रतिवादी संख्या 1 ने उत्तरी तरफ के खातेदार जीवण पुत्र तेजा की भूमि खसरा नम्बर 734 में से रास्ता हेतु भूमि लेकर भूमि के बदले 244 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी 1 ने अपने हिस्से में से जीवण पुत्र तेजा को हस्तान्तरण कर दी थी तथा जीवण पुत्र तेजा के नाम आज दिन खसरा नम्बर 794 में 244 वर्गमीटर भूमि की खातेदरी दर्ज चली आ रही हैं तथा जीवण पुत्र तेजा का स्वर्गवास हो चुका हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 से 9 जीवण के वारिस होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 600, 602, 750, 794 कुल रकबा 7.80 हैक्टयर में से खसरा नम्बर 602 रकबा 0.77 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 750 रकबा 1.61 हैक्टयर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 600 रकबा 3.18 हैक्टयर में से दक्षिणी पश्चिमी कौने में 0.24 हैक्टयर खसरा नम्बर 602 के लगती हुई भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं खसरा नम्बर 3.18 हैक्टयर रकबा 3.18 हैक्टयर भूमि में से 2.94 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 1 को व खसरा नम्बर 794 रकबा 2.24 हैक्टयर में से 2.2156 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 1 को व 0.0244 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 3 से 9 की खातेदारी में व ग्राम पांचौता के खसरा नम्बर 1.52 हैक्टरूर, 757 रकबा 1.52 हैक्टयरक कुल रकबा 3.04 हैक्टयर भूमि में से खसरा नम्बर 756 रकबा 1.52 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि का वादी की खातेदारी में घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ने दिनांक 14.03.2017 को इकबालिया जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया हैं तथा

Dr
20/7/17

प्रतिवादी 2 से 9 व 12 तथा 10, 11 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात साक्ष्य वादी में वादी स्वंय व गवाह खंगाराम , हनुमानराम के शपथ पत्र पेश किऐ हैं ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2069—72 में ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 756, 757 कुल रकबा 3.04 हैक्टयर भूमि आनन्दसिंह पुत्र कर्णसिंह कौम राजपूत सा. भगवानपुरा 1/2, उदाराम पुत्र मोतीराम, दूलाराम पुत्र लादू जाट 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें उदाराम का हिस्सा एस.बी.बी.जे. शाखा नांवा के नाम रहन दर्ज रिकार्ड हैं, ग्राम पांचौता के खसरा नम्बर 785 रकबा 1.34 हैक्टयर भूमि उदाराम पुत्र मोती, दुला पुत्र लादू कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं, तथा दानपुरा के खसरा नम्बर 600, 602, 750, 794 कुल रकबा 7.80 हैक्टयर भूमि लादूराम पुत्र मोतीरमा, दुला पुत्र लादू कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं व खसरा नम्बर 794 रकबा 2.24 हैक्टयर भूमि में दुला पुत्र लादू के हिस्से में से विक्रय करने पर 244 वर्ग वर्गमीटर भूमि जीवन पुत्र तेजाराम जाति जाट सा. बीजापुरा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा दुला पुत्र लादू का हिस्सा भू.वि. बैंक नागौर शाखा नांवा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। जमाबन्दी के अनुसार ग्राम पांचेता के खसरा नम्बर 756, 757 कुल रकबा 3. 04. हैक्टयर में 1/2 हिस्सा, तथा ग्राम पांचोता के ही खसरा नम्बर 785 रकबा 1.34 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 600, 602, 750, 794 कुल रकबा 7. 80 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं इस भूमि में खसरा नम्बर 794 रकबा 2.24 हैक्टयर में से दुला पुत्र लादू ने अपने हिस्से की भूमि में से 244 वर्ग मीटर भूमि जीवणराम पुत्र तेजाराम को बेचान की हैं जिसके वारिसान प्रतिवादी 3 से 9 है। जमाबन्दी के अनुसार वादी व प्रतिवादगीण उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिन्होंने मौके पर अपनी सुविधा अनुसार भूमि का बंटवारा कर अलग अलग काश्त करते आ रहे हैं जिसके माफिक ही राजस्व रिकार्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा करवाना चाहते हैं जिसका उन्हें कानूनी अधिकार है। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं तथा किसी प्रकार का उज्र पेश नहीं किया हैं तथा मौके पर हो रखे बंटवारे की वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहो ने पुष्टि की हैं जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 602 रकबा 0.77 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 750 रकबा 1.61 हैक्टयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 600 रकबा 3.18 हैक्टयर में से दक्षिणी — पश्चिमी कोने की 0.24 हैक्टयर भूमि जो खसरा नम्बर 602 से लगती हुई स्थित हैं का खातेदार काश्तका वादी को घोषित किया जाता हैं तथा खसरा नम्बर 600 रकबा 3.18 हैक्टयर में से शेष 2.94 हैक्टयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 794 में से 2.2156 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी

Sd
20/3/22

उपखण्ड अधिकारी

संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नम्बर 794 में से 0.0244 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 3 से 9 की खातेदारी में घोषित की जाती है। तथा ग्राम पांचौता के खसरा नम्बर 756 रकबा 1.52 हैक्टयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 785 रकबा 1.35 हैक्टयर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तका वादी को घोषित किया जाता हैं तथा खसरा नम्बर 757 रकबा 1.52 हैक्टयर में से वादी व प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण प्रतिवादी 2 की खातेदारी में घोषित की जाती है। खसरा नम्बर 756 रकबा 1.52 हैक्टयर वादी की खातेदारी में दर्ज होकर एस.बी.बी.जे. बैक शाखा नांवा के रहन दर्ज रहेगा। खसरा नम्बर 785 रकबा 1.35 हैक्टयर के बदले प्रतिवादी 1 की खातेदारी में घोषित ग्राम दानपुरा की सम्पूर्ण भूमि ना.स. भू.वि. बैंक लि. नागौर शाखा नांवा के रहन दर्ज की जावे। तदनुसार वादी व प्रतिवादी 1 व प्रतिवादी 2 एवं प्रतिवादी 3 से 9 की खातेदारी में घोषित भूमि तदनुसार दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा

उपखण्ड अधिकारी
नांवा (नागौर)